उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-1
संख्या-45/2015/406(41)/38-1-2015-08 टी0आर0/2014
लखनऊ: दिनांक: 09 मार्च, 2015

**<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>**

तात्कालिक प्रभाव से श्री राम सेवक, उपायुक्त, सम्बद्ध कार्यालय आयुक्त ग्राम्य विकास को स्थानान्तरित करते हुए जिला विकास अधिकारी, झांसी के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

**2-** स्थानान्तरित अधिकारी अपने नवीन पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर तत्संबंधी कार्यभार- प्रमाणक शासन एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करा दें। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में उनके विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

**(उमा कान्त पाठक)**
अनु सचिव

<u>संख्या-45/2015/406(41)(1)/38-1-2015 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) मण्डलायुक्त, झांसी।
(4) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, झांसी ।
(5) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/झांसी ।
(6) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 ।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

**(उमा कान्त पाठक)**
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।